

प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 19/2023)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भाद्रविप्रा ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के लिए सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए।


नई दिल्ली, 24 फरवरी 2023 - भाद्रविप्रा ने 20 मार्च 2009 को समय-समय पर संशोधित बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम (2009 का 7) की सेवा की गुणवत्ता के मानक जारी किए हैं। वर्तमान में, दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) के आधार पर क्यूओएस निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

2. प्राधिकरण ने अवलोकन किया कि टीएसपी द्वारा प्रदान किए जा रहे क्यूओएस के इष्टतम विश्लेषण के लिए क्यूओएस मापदंडों के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वार रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। इससे संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को जरूरत पड़ने पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में क्यूओएस में सुधार करने के लिए सेवा प्रदाताओं को सुविधा प्रदान करने में भी मदद मिलेगी।

3. इसलिए, बेसिक (वायरलाइन) सेवाओं के लिए विनियम 3 में विनिर्दिष्ट क्यूओएस पैरामीटरों और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के लिए विनियम 5 के 'नेटवर्क सेवा गुणवत्ता पैरामीटर' के संबंध में टीएसपी को निर्देश दिया गया है कि वे 31.03.2023 को समाप्त होने वाली तिमाही से तिमाही आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

4. एलएसए वार डेटा, जैसा कि वर्तमान में विभिन्न प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, विनियम में परिभाषित कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत किया जाना जारी रहेगा।

5. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (क्यूओएस) भाद्रविप्रा से दूरभाष नंबर 011-23233602 पर संपर्क किया जा सकता है।


(वी. रघुनंदन)
सचिव, भाद्रविप्रा